न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 10 / 2020
अन्तर्गत धारा 251 क RT Act

अनवान :–
प्रार्थीगण :–

1. पदमाराम पुत्र बांकाराम 2. देराजराम 3. वीरमाराम पि. पदमाराम जातियान जाट निवासी कोठे का तला (धारासर) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. नारणाराम पुत्र बांकाराम 2. ठाकराराम 3. गोरखाराम 4. अमराराम पि. देदाराम 5. जमना पत्नी देदाराम 6. सताराम 7. मूलाराम पि. मूलाराम 8. प्रहलादराम 9. नेनूराम 10. देवाराम 11. अर्जनराम 12. जुगताराम 13. खेराजराम 14. दीपाराम पि. निम्बाराम 15. पेमी 16. पारू पुत्री निम्बाराम 17. सताराम पुत्र लाखाराम 18. तुलसाराम पुत्र रूगाराम 19. सुरताराम पुत्र रूगाराम के कायम मुकाम 19/1 देराजराम 19/2 हिमथाराम पि. सुरताराम 19/3 कलुदेवी पत्नी सुरताराम जातियान जाट निवासी कोठे का तला (धारासर) तहसील चौहटन 20. तहसीलदार एवं उप पंजियक चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री फताराम गोदारा
वकील विप्रार्थीगण :– श्री ठाकराराम (1 से 5, 8 से 11 व 13 से 16)
श्री पवन धारीवाल (6,7,17)
श्री जगदीश पोटलिया (19)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

–:: निर्णय ::–

दिनांक 11.11.2025

प्रार्थीगण पदमाराम पुत्र बांकाराम जाति जाट, निवासी कोठे का तला (धारासर) तहसील चौहटन द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी/संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी, कब्जासुदा खेत मौजा कोठे का तला (धारासर) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 771/431 रकबा 22.[illegible] एवं खसरा सं. 417 रकबा 14.10 बीघा स्थित है। जिस पर उसके [illegible] मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:05:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

...ण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को अपनी जोत से सरकारी सड़क मार्ग धारासर से चौहटन रोड़ आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा सं. 770/431, 769/431, 428, 741/419, 742/419 की भूमि मौजा कोठे का तला (धारासर) में रास्ता दिया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थी सं. 1 से 5, 8 से 11, 13 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री ठाकराराम एवं विप्रार्थी सं. 6,7 व 17 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन धारीवाल ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब पेश किया। शेष विप्रार्थीगण की ओर कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में मौका रिपोर्ट तहसीलदार चौहटन से मंगवाई गई। मौका रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त हुई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर मौका रिपोर्ट अनुसार आदेश किये जाने पर सहमति दी गई। तहसीलदार चौहटन की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिनांक 30.07.2021 को दिया गया।

उक्त निर्णय दिनांक 30.07.2021 की अपील मूल आवेदन में विप्रार्थी सं. 19/1 व 19/2 द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने से माननीय अपील अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.09.2022 द्वारा अपील अपीलांटगण की स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 को अपास्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए लघुतम कटाण मार्ग देने की कार्यवाही कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ पत्रावली प्रतिप्रेषित की गई।

विप्रार्थी सं. 19 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पोटलिया उपस्थित होकर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर न्यायहित में विप्रार्थी सं. 19 के का.मु. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। विप्रार्थी सं. [illegible] का.मु. की ओर से जवाब पेश किया गया। तहसीलदार चौहटन से [illegible] दिनांक 27.03.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. [illegible] का.मु. की ओर से अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर दिनांक 18.06.2025 को No Instraction प्लीड किया। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु मुकर्र की गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:05:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

...जों एवं तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	770 / 431	22.19	बा.सो.	20 फीट	0.05 बीघा	कोठे का तला (धारासर)	नारणा वल्द बांका
2	769 / 431	23.11	बा.सो.		0.05 बीघा		ठाकरा पुत्र देदा वगैरा
3	428	51.08	बा.सो.		2.13 बीघा		सता वल्द मूला वगैरा
4	741 / 419	11.09	बा.सो.		0.04 बीघा		तुलसा वल्द रूगा
5	742 / 419	08.00	बा.सो.		0.04 बीघा		सुरता वल्द रूगा

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई पेड़ नही है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी / संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी / डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान [illegible] पर राशि देय होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:15:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई पेड़ नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की वर्तमान एलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण /प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :—

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि [illegible] चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:05:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दिए जाने का आदेश आज दिनांक 11.11.2025 को दिया जाता है। नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:05:51 IST
Reason: SelfAttested